

# ALL JUDICIAL EXAMS

Part 01

**Evidence Act, 1872**

**साक्ष्य अधिनियम**

***Introduction* परिचय**

#Judiciary

By Poonam Sha





# **WELCOME** **UMMEED** **CLASSES**

**Like Video and Subscribe  
our channel**

**Join us:**



**9269100222**



**UMMEED CLASSES**



**#Hinglish**

**By Poonam Ma'am**



## भारतीय साक्ष्य अधिनियम Indian Evidence act 1872

1. प्रारूप तैयार किया Drafted by - Sir James Fitz Stephen
2. (1872 का अधिनियम संख्या 1) Act no. 1 of 1872
3. अधिनियमित (Enacted) - 15 March, 1872
4. प्रवर्तन Came into force on - 1st September 1872
5. समवर्ती सूची का विषय

Subjects of concurrent list - प्रविष्टि 12 Entry 12

III list

Total : 3 parts, 11 Chapters, 167 Sections

COI  
Schedule 7

by Henry

Maine → Draft →

Reject

सर जेम्स  
फिट्ज स्टीफेन

UPC  
↓  
Entry 12



The word Evidence is derived from the Latin word '**evidere**' which means 'साक्ष्य' को अंग्रेजी में 'एविडेंस' कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द "एविडेंट" या "एविडेरे" से की गई है - जिसका अर्थ सत्य की खोज, निर्धारण या उस तक पहुंचना है

- a) to show clearly स्पष्ट रूप से दिखाना
- b) to discover clearly स्पष्ट रूप से खोज करना,
- c) to ascertain to prove the fact तथ्य को साबित करने का निर्धारण करना।

साक्ष्य का तात्पर्य- स्पष्ट, निश्चित या कुख्यात बनाना हैं। पक्षों के बीच तथ्य या विवाद के मामले को साबित या अस्वीकृत करने के संबंध में, अदालत के समक्ष एक तर्क का समर्थन या निर्माण करके साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

*Judicial proceeding*



➤ साक्ष्य विधि का मुख्य उद्देश्य है-The main objective of evidence law is

1. सत्य का अभिनिश्चय करने में सहायता देना, To help in determining the truth
2. दीर्घसूत्री जांचों को रोकना Stopping long-threaded tests
3. अनावश्यक साक्ष्य के ग्रहण किये जाने से उत्पन्न भ्रांति से न्यायाधीशों तथा जूरी सदस्यों को बचाना। To protect judges and jury from confusion arising from the admission of unnecessary evidence.

- साक्ष्य विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है। अधिकारों के उपचार हेतु अपनायी जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण करने वाली विधि को 'प्रक्रियात्मक विधि' कहा जाता है। कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं। जैसे- विवन्ध का सिद्धान्त

Indian evidence Act is a procedural law. The law determining the action to be adopted for the redress of rights is called 'procedural law'. It also contains substantial part on some subjects. E.g.: the principle of estoppel.



- Nature of Evidence Act

- साक्ष्य विधि देशीय विधि (Lex Fori) है। (न्यायालयाधिकृत विधि )  
Indian Evidence Act is Lex fori which governs the court.
- साक्ष्य के समस्त प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किये जायेंगे जहाँ किसी कार्यवाही का विचारण किया जाता है। All questions of evidence shall be decided according to the law of the place where any proceeding is tried.
- साक्ष्य की विधि भूतलक्षी है- साक्ष्य के नियम अपने प्रवर्तन में भूतलक्षी ही होते हैं।
- Indian Evidence Act has retrospective effect. The rules of evidence are retrospective in their enforcement.



- भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण कानून नहीं है बल्कि 'विशेषण कानून' के अंतर्गत आता है, जो उस दलील और विधि का वर्णन करता है जिसके द्वारा मूल कानूनों को लागू किया जाता है।
- Indian Evidence Act is not exhaustive law. Indian Evidence Act is adjective law which describes the reasoning and method by which substantive laws are applied.



साक्ष्य की विधि के आधारभूत सिद्धान्त हैं-  
The main principles of Indian Evidence Act:

Sec 5

(1) साक्ष्य विवादक  
तथ्य तक ही सीमित  
होना चाहिए।

Evidence must be  
confined to the matter  
in issue.

fact in issue.

(2) अनुश्रुत ~~साक्ष्य~~ साक्ष्य में  
नहीं दिया जाना चाहिए  
Hearsay evidence must  
not be admitted

(3) सब मामलों में सर्वोत्तम  
साक्ष्य दिया जाना चाहिए।  
Best evidence must be  
given in all cases.

Sec-60  
Direct Evid.



- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 सिविल कार्यवाहियों एवं आपराधिक कार्यवाहियों दोनों पर लागू होता है। **Indian Evidence Act applies on both civil and criminal proceedings.**  
① 2 suits & proceedings
- **In Civil Case :** The normal rule which governs civil proceedings is that a fact will be said to be showed if it's proved by a preponderance of probabilities. सिविल कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम यह है कि किसी तथ्य को तब दिखाया गया माना जाएगा जब वह संभावनाओं की प्रबलता से साबित हो। 51% 49% ✓
- **In Criminal Case:** a criminal case must be proved beyond a reasonable doubt. एक आपराधिक मामला उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए 100% ✓ 2- x



- सिविल मामलों में साक्ष्य के नियमों को पक्षकारों की सम्मति से कुछ अंश तक शिथिल किया जा सकता है
- The rules of evidence in civil cases can be relaxed to some extent with the consent of the parties.
- आपराधिक मामलों में पक्षकारों की सम्मति या न्यायालय की अनुमति से भी साक्ष्य के नियमों को शिथिल नहीं किया जा सकता है।
- In criminal cases, the rules of evidence cannot be relaxed even with the consent of the parties or the permission of the court.



## भारतीय साक्ष्य अधिनियम Indian Evidence Act

### Part 1

Relevancy of Facts

तथ्यों की सुसंगतता

(1-55)

What

### Part 2

On proof

सबूत पर

(56-100)

How

### Part 3

Production and effect of  
evidence

साक्ष्य की उत्पत्ति और  
प्रभाव

(101-167)

Who



(1-55) - 2 Chapters

<b>Part 1</b> <b>भाग 1</b>  <b>तथ्यों की सुसंगतता</b> <b>(Relevancy of facts)</b>	<b>Chapter 1</b> <b>अध्याय 1</b>	<b>Preliminary प्रारम्भिक</b> <b>(Sections <u>1-4</u>)</b>
	<b>Chapter 2</b> <b>अध्याय 2</b>	<b>Of the relevancy of facts</b> <b>तथ्यों की सुसंगति का वर्णन</b> <b>(धारा <u>5-55</u>)</b>  ✱



<b>भाग 2</b> <b>Part II</b>  <b>सबूत पर</b> <b>(On proof)</b> <b>Ch(3-6)</b>	Chapter 3 अध्याय 3	Facts which need not to be proved ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती (Sections 56-58)
	अध्याय 4 Chapter 4	* मौखिक साक्ष्य पर आधारित Of oral evidence (Sections 59-60) //
	अध्याय 5 Chapter 5.	दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित Of documentary evidence (Sections 61-90)
	अध्याय 6 Chapter 6	* Of the exclusion of <u>oral</u> by <u>documentary</u> evidence (Sections 91 - 100) दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा <u>मौखिक</u> साक्ष्य का अपवर्जन का नियम (धारा 91 से 100)



**भाग 3**  
**Part III**  
**साक्ष्य की उत्पत्ति**  
**और प्रभाव**  
**(Production and**  
**effect of**  
**evidence)**

अध्याय 7 Chapter 7	सबूत का भार एवं उपधारणा (धारा <u>101-114</u> ) Of the burden of <u>proof</u> (Sections <u>101-114</u> ) ✗
अध्याय 8 Chapter 8	विबन्ध के विषय में (धारा 115-117) Estoppel (Sections <u>115-117</u> )
Chapter 9 अध्याय 9	<del>सबूत</del> गवाहों के विषय में <u>Of witnesses</u> (Sections 118-134) ✗
Chapter 10 अध्याय 10	गवाहों का परीक्षण (धारा <u>135-166</u> ) Of the examination of witnesses (Sections 135 -166) ✗
अध्याय 11 Chapter 11	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के विषय में Of the improper admission and <u>rejection of evidence</u> (Section <u>167</u> ) ✓



# IEA, 1872

(5-55)  
What fact  
is to be proved

क्या साबित  
किया जाए

How  
facts  
to be  
proved

कैसे (56-100)

Who will  
proved.

(कौन)

101-167)



Draft → Stephen



UMMEED  
CLASSES



**THANKING YOU**

**FOR**

**WATCHING**

**UMMEED CLASSES**



**9269100222**



**UMMEED CLASSES**



**UMMEED\_CLASSESOOI**



**UMMEED  
CLASSES**

